कार्यस्थल पर महिला यौन–उत्पीड़न अधिनियम –2013

Sumitra
Assistant Professor
Department of Sociology
C.R. College of Law, Rohtak (HR.)

शोध आलेख सार– वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव समाज के हर क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहा है और महिलाओं के विरूद्ध यौन अपराधों में भी बढोतरी हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के साथ घर की चारदीवारी तथा कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न की घटनाएं उजागर हुई हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी विशाखा गाईडलाईन्स के तहत सरकार को दिशा निर्देश जारी किये हैं कि उनके यहाँ कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार का यौन दुर्व्यवहार न हो। इस दिशा में महिलाओं के यौन–उत्पीड़न से सम्बन्धित अधिनियम 2013 लागू कर दिया गया है जो यौन–उत्पीड़न रोकने की दिशा में एक कारगर कदम माना जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र मे कार्य स्थल पर महिला यौन–उत्पीड़न अधिनियम 2013 का अध्ययन किया गया है।

मूलशब्द– यौन–उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, कामकाजी महिलाएं, सामाजिक व्यवस्था।

भूमिका– सत्य तो यह है कि आज महिलाएं 21वीं सदी के दौर में पुरूष प्रधान समाज को निरन्तर चुनौती दे रही हैं और वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुकी हैं। उनके लिए नौकरियों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों में तो पदों का आरक्षण तक कर दिया गया है। इसके साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी महिला कर्मियों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिला है। आज वे घर की चारदीवारी में कैद न होकर स्वतंत्र पक्षी की तरह विचरण करने वाली स्वतंत्र महिलाएं हैं। नारीवादी आन्दोलनों के प्रभाव से उनके जीवन में सुधार आया है और वे राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ भी अग्रसर हो रही हैं। इसके बावजूद कुछ लोग उन्हें घर की चारदीवारी में कैद करके बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं। चूंकि हमारा संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार देता है और महिला साक्षरता की बढती दर उनकी सुधरती हुई स्थिति पर प्रकाश डालती है। कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि महिलाएं नौकरी–पेशा करके घर की मुखिया की भूमिका भी निभा रही हैं। परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि उनके साथ घर की चारदीवारी तथा कार्यस्थल पर यौन–दुर्व्यवहार होना आम बात हो चुकी है। इसी के दृष्टिगत कामकाजी महिलाओं को

लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2013 में एक अधिनियम बनाया गया है जो विशाखा गाईडलाईन्स पर आधारित है।

विशाखा दिशा निर्देश– इस दिशा निर्देश की पृष्ठभूमि यह थी कि राजस्थान की समाज सेविका भंवरी देवी ने 1994 में एक बाल विवाह का विरोध किया था जिसके कारण विकृत मानसिकता वाले पुरूष समाज के लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। 1997 की इस घटना के बाद विशाखा नामक एक स्वयंसेवी संस्था ने कुछ लोगों की मदद से न्यायालय में वाद दायर करवाया। इस मुकद्में की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किये ताकि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं–

→ केन्द्र व राज्य सरकार दोनों का यह दायित्व है कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें।
→ कार्यस्थल पर महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा उनका संवैधानिक अधिकार है।
→ कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन–उत्पीड़न से सम्बन्धित नियमों को अधिसूचित करके उनका प्रकाशन तथा वितरण किया जाए ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो।
→ नियोक्ता को इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए तथा इसके लिए अपने विभाग में एक शिकायत समिति का गठन किया जाये। जहां तक संभव हो इसका अध्यक्ष महिला को ही बनाया जाये। इसके साथ–साथ इस समिति में आधी संख्या महिलाओं की ही हो।
→ समिति में किसी प्रकार के विवाद को समाप्त करने के लिए तीसरे पक्ष के रूप में कोई गैर सरकारी संगठन या संस्था की मदद ली जाये।

इससे पहले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महिलाओं का यौन–उत्पीड़न रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किये थे ताकि पीड़िता को कानूनी मदद मिल सके। इन निर्देशों को भी विशाखा निर्देशों के साथ जोड़ दिया गया। दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 की निर्भया बलात्कार की घटना के बाद सरकार फिर से हरकत में आई तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर बने कानूनों की समीक्षा करने तथा न्यायायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायधीश जे.एस.वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने अपनी सिफारिशें इस प्रकार दी–

→ महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के लिए सख्त सजा दी जाये।

→ मानव तस्करी के मामले में 14 वर्ष से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान हो।

→ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में सजा की अवधि कम से कम 20 वर्ष हो।

→ यदि पीड़ित महिला या पुरूष 65 वर्ष का हो तो उसे पुलिस थाने में हाजिरी से छूट दी जाये तथा दुष्कर्म के मामले में लिंग–भेद समाप्त किया जाये।

→ विवाहित पुरूष द्वारा अपनी पत्नी की बिना सहमति के बनाये गए शारीरिक सम्बन्धों को भी दुष्कर्म के दायरे में लाया जाये।

→ महिला के साथ दुष्कर्म की जानकारी प्राप्त होते ही उसे नजदीकी न्यायधीश के सामने पेश किया जाये।

→ दुष्कर्म के मामलों में सशस्त्र बल के जवानों को विशेषाधिकार कानून के दायरे से बाहर रखा जाये।

→ पीड़ित महिला के इलाज पर किया गया खर्चा दोषी व्यक्ति पर डाला जाये तथा तेजाबी हमले की पीड़िता को आराम करने का अधिकार मिलना चाहिए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013– पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली लैंगिक हिंसा एवं अपराध महिलाओं के मानवाधिकारों पर गहरा कुठाराघात है। समय–समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जिसमें विशाखा दिशा निर्देश को इस दिशा में मील का पत्थर माना जाता हैं जिसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता में भी बदलाव की बात की गई है। इस अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं–

→ इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में हर प्रकार का कार्य करने वाली हर उम्र की महिला को शामिल किया गया है।

→ इसमें महिला की सहमति के बिना उससे अश्लील बातें करना, निकटता बढाना, भद्दे ईशारे करना, अशलील व्यवहार करना आदि यौन उत्पीड़न में शामिल किया गया है।

→ इसमें यौन उत्पीड़न की शिकार महिला की दुष्कर्म के बाद मृत्यु होने पर दोषी को आजीवन कारावास तथा मृत्युदण्ड दिया जा सकता है।

→ इसमें महिलाओं का पीछा करना, घूरना, अश्लील संकेत करना आदि अपराध की सजा 3 वर्ष की गई है।

→ इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लिए क्षेत्रीय शिकायत समिति के गठन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ–साथ नियोक्ता द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले की जानकारी मिलते ही एक आन्तरिक समिति का गठन करने का उतरदायित्व सौंपा गया है।

→ इसके तहत अदालतों को दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने का अधिकार बाधित कर दिया गया हैं।

→ इसमें वैवाहिक बलात्कार को भी शामिल किया गया है। जिसमें पुरूष के लिए कम से कम दो वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

→ इसके तहत कार्यस्थल को भी परिभाषित कर दिया गया है।

यौन उत्पीड़न को रोकने के सुझाव– चूंकि अधिनियम 2013 महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने में एक कारगर कदम माना जाता है फिर भी इसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं। इसके अन्तर्गत खेतों में काम करने वाली महिलाओं तथा सशस्त्र सेनाओं की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। यह एक पक्षीय अधिनियम है जो पुरूषों को सुरक्षा की गारण्टी नहीं देता। इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होने की स्थिति में सारा उतरदायित्व नियोक्ता पर डाला गया है। 18 अक्तूबर 2012 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात का निर्देश दिया गया था कि सभी नियोक्ता अपने कार्यस्थल पर विशाखा दिशा निर्देश का पालन करें। इसके बावजूद कई बार दिशा निदेर्शों के उल्लंघन की बात भी उजागर हुई है। अतः कुछ सुझाव अपेक्षित हैं–

→ महिला के साथ यौन अपराध में दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि वह दूसरों के लिए एक सबक बन सके।

→ सामूहिक बलात्कार के मामलों में कम से कम 20 वर्ष की सजा हो तथा गंभीर स्थिति में उसे मृत्युदण्ड में बदल दिया जाये।

→ सभी दुष्कर्म के मामलों में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जाये।

→ 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष व स्त्री को इसके दायरे से बाहर रखा जाये।

→ इस अधिनियम को लागू करना स्थानीय स्तर पर पंचायतों को सौंप दिया जाये।

→ तेजाबी हमले के मामले में पीड़ित महिला को सवेतन आराम का अधिकार मिलना चाहिए।

→ इस दिशा में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

सारांश– चूंकि यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक अहम कदम माना जाता है और इसमें सभी नियोक्ताओं को विशाखा दिशा निर्देश लागू करने की बात कही गई है। इसके बावजूद वर्ष 2011 में 8570 यौन उत्पीड़न के मामले भारत में दर्ज हुए जो 2002 की तुलना में कुछ कम हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हैं कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले यौन अपराधों में अधिक कमी आई है। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि समाज के परम्परागत मूल्यों को बदला जाये और महिलाओं की बदलती आर्थिक भूमिका की पहचान की जाये। यदि कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर कोई घटना घटती है तो इसके लिए कुछ सीमा तक तो नियोक्ता को उत्तरदायी माना जा सकता है। कई शोध अध्ययनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक अपराध निरन्तर बढ रहे हैं जो भारतीय समाज के लिए चिन्ता का विषय है।

सन्दर्भ सूची–

1. माला दीक्षित, ''कानून असरदार व्यवस्था बेकार'', दैनिक जागरण, पानीपत, 30 दिसम्बर 2012.
2. आर.एम.सोनकेम्बल, 'कम्बेटिंग डोमेस्टिक वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 27, जून 2013.
3. अन्जू, ''वूमेन्स एण्ड बिजनेस प्रोबलम्स एण्ड ऑपरच्युनिटीज'', हिन्दू, वॉल्यूम 3 (1) मई–जुलाई 2014.
4. वुमेन्स लिंक, वॉल्यूम 20 (2), अप्रैल–जून 2014.
5. महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारत का सामाजिक इतिहास, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2014.
6. वंदना सक्सेना, महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली, 2004.
7. पी.शोभा, 'डोमेस्टिक वॉयलेंस इन इंडिया', थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 28, अप्रैल 2014.
8. जी.एल.शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2015.